

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक0प्र0क0-148 / 16

संस्था0दि0 11 / 04 / 16

फाईलिंगनं.233504001412016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

:- विरुद्ध :-

1. पिन्टू उर्फ प्रदीप साहू पिता मुरली साहू उम्र 32 वर्ष,
2. सुमन साहू पति मुरली साहू उम्र 55 वर्ष,
3. मुरली साहू पिता दूमचन्द साहू उम्र 60 वर्ष
4. संध्या साहू पति पवन साहू उम्र 36 वर्ष,
5. पवन साहू पिता शिवलाल साहू उम्र 36 वर्ष,
सभी जाति तेली, पेशा मजदूरी, नि0ग्राम नाहिया,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्तगण**

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 30 / 11 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए", 324 / 34 एवं दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम की धारा-4 के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 12 / 12 / 15 को दरम्यानी रात व इसके पूर्व से फरियादिया के ससुराल का घर ग्राम नाहिया आमला, थाना आमला, जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी संतोषी साहू जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की, आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संतोषी को गर्म तेल डालकर स्वेच्छया उपहति कारित की, आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में 20,000 / -रुपये की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया।

2- दिनांक 29 / 11 / 16 को फरियादी संतोषी साहू और आरोपीगण के बीच राजीनामा होने से आरोपीगण को भा0दं0वि0 की धारा 294 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी संतोषी साहू के द्वारा लिखित शिकायत के माध्यम से बताया है कि उसका विवाह जाति रिति रिवाज से प्रदीप उर्फ पिन्टू से दिनांक 12 / 02 / 12 को स्थान राजेन्द्र वार्ड बैतूल में हुआ था। आवेदिका के माता एवं भाई के द्वारा उसकी हैसियत अनुसार उस दौरान अनावेदक कं. 1 को दहेज दिया था। आवेदिका विवाह के पश्चात् अना0 कं0 1 के साथ दो वर्ष तक सामान्य स्थिति में साथ रही, फिर आवेदिका को बच्चे नहीं होने के कारण अनावेदकगण ताना मार

कर उल्टा सीधा बोलने लगे। उक्त बातों को लेकर आवेदिका को अनावेदगण आये दिन बात बात पर गाली गलौच मारपीट करने लगे अनावेदक कं. 1 उसकी माँ सुमन तथा बहन संध्या के बहकावे में आकर आवेदिका को मारपीट करने लगा। इस वर्ष ग्यारस के समय आवेदिका के ससुराल में अनावेदकगण इकट्ठा हुए तथा आवेदिका को कहने लगे कि तू छोड़ चिट्ठी ले ले, वह प्रदीप की दूसरी शादी करेंगे उसके मायके से 2,00,000/-रुपये लेकर आ तू बांझ है तेरे कारण प्रदीप की जिंदगी खराब हो गई है, आवेदिका उसके बाद लगातार गाली गलौच कर अनावेदगण उसे रसोई में जाने नहीं देते थे और आए दिन भूखा रखते थे आवेदिका को अनावेदक कं 2 माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देते उसके मना करने पर अनावेदक कं 3 अनावेदक कं 1 को भडका कर आवेदिका मार खिलाती रही। दिनांक 12/12/15 को आवेदिका रसोई में गई तो अनावेदक कं. 3 दौड़कर उसके पिछे गई और बोली छिनाल बांझ तू रसोई में कैसे घुस गई और गरम तेल की कड़ाई आवेदिका के दांये हाथ की उंगली पर उढेल दी जिससे आवेदिका के हाथ की उंगलियाँ जल गई, परंतु आवेदिका ने घर की लाज लज्जा के कारण उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की। अनावेदकगण का व्यवहार दिनों दिन आवेदिका के विरुद्ध क्रूर होता रहा तथा दिनांक 18/12/15 को दोपहर में अनावेदकगण द्वारा आवेदिका को घर से बाहर निकाल दिया परंतु आवेदिका दिन भर घर से बाहर रही शाम को 6 बजे अनावेदक कं 1 द्वारा भट्ठी से वापस आया और अपनी माँ बहन के गराने सुनकर आवेदिका का बाल पकड़कर उसे पटक दिया और जोर से पेट पर लात मारा तो आवेदिका अपने आप को बचाने के लिए गांव में इधर उधर दौड़ी तो अनावेदक कं 1 बोला मादर चोद तू मुझे दुसरी शादी करने के लिए स्टाम्प पर राजीनामा लिखकर दे नहीं तो रातो रात तुझे ईट भट्टे में जलवा दूंगा।

4- फरियादी का लिखित आवेदन प्र0पी0 1 है जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 124/16 भा.द.सं धारा-498 "ए", 294, 324 एवं दहेज प्रतिशेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा कराया गया। दिनांक 17/03/16 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1-“क्या आपने दिनांक 12/12/5 को दरम्यानी रात व इसके पूर्व से फरियादिया के ससुराल का घर ग्राम नाहिया आमला, थाना आमला, जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी संतोषी साहू जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की?”

2-“उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संतोषी को गर्म तेल डालकर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

3- “ उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप

से दहेज में 20,000/-रुपये की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया?"

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1,2,3 का निराकरण

7- सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1,2,3 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8- अभियोजन साक्षी संतोषी साहू (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि शादी के पश्चात् से घरेलू बातों को लेकर उसका आरोपीगण से वाद विवाद होता था जिससे नाराज होकर उसके मायके बैतूल चली गई थी जहां उसने नाराजगी में आरोपीगण के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उसके द्वारा पुलिस थाना आमला में लिखित आवेदन पेश किया था जो प्र0पी0 1 जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका डाक्टरी मुलाहिजा करवाई थी। पुलिस ने उससे शादी की फोटो एवं दहेज की सूची एवं कार्ड जप्त की थी जो प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण ने दहेज की मांग नहीं की थी। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न में इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि सभी आरोपीगण उसे बच्चे नहीं होने के कारण ताना मारते थे और उससे दो लाख रुपये दहेज में मांगते थे। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि दिनांक 12/12/15 को आरोपिया सुमन ने उसके गर्म तेल की कढ़ाई डाल दी थी जिससे दांये हाथ की उंगली में चोट आई थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को लिखित शिकायत प्र0पी0 1 का बी से बी भाग एवं प्र0पी0 3 का ए से ए भाग लेख कराई थी। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है।

9- आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपीगण से दान दहेज को लेकर कोई विवाद नहीं था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि खाना बनाते समय स्वयं की गलती से तेल की कढ़ाई गिरने से उसे चोट आई थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने गुस्से में आकर आरोपीगण की शिकायत की थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने कोई गाली गलौच लड़ाई झगडा मारपीट नहीं की थी। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में फरियादी संतोषी साहू ने जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की और सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संतोषी को गर्म तेल डालकर स्वेच्छया उपहति कारित की और फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में 20,000/-रुपये की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया, का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य के मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए", 324/34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10- उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी संतोषी साहू जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और

उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संतोषी को गर्म तेल डालकर स्वेच्छया उपहति कारित की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में 20,000/-रूपये की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1,2,3 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी संतोषी साहू जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की और उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संतोषी को गर्म तेल डालकर स्वेच्छया उपहति कारित की और उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में 20,000/-रूपये की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण पिन्दू उर्फ प्रदीप, सुमन, मुरली, संध्या, पवन को भा0द0वि0 की धारा-498 "ए", 324/34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्तगण के धारा-313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री शादी का कार्ड एवं दहेज की सूची मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0